न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान बस्ती।
मूलवाद सं० 292/2018
परमात्मा प्रसाद बनाम श्रीमती शीला आदि
C.N.R.No. UPBS120004302018

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए –

01. क्या वादी वादपत्र में उल्लिखित अभिकथनों के आधार पर विवादित वसीयतनामा दिनांकित 04.12.2017 को मंसूख करा पाने का अधिकारी है?
02. क्या वादी विवादित आराजियात वर्णित वादपत्र तथा संयुक्त मौरूसी मकान, सहन क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र का मालिक व काबिज है?
03. क्या वादी विवादित मकान मय सहन क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र के 1/2 भाग को अलग करा पाने का अधिकारी है?
04. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
05. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
06. क्या दावा वादी में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?
07. क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
08. क्या दावा वादी मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
09. क्या वादी को राइट टू सूट प्राप्त है?
10. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है?
11. क्या दावा वादी कालबाधित है?
12. क्या प्रस्तुत वाद को देखने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
13. क्या दावा वादी धारा 331 उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?
14. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 4 व 5 दिनांक 25.03.2020 को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०,
खलीलाबाद स्थान बस्ती
(J.O.Code UP 2272)